



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03072026-274047
CG-DL-E-03072026-274047

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3424]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2026/आषाढ 10, 1948

No. 3424]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2026/ASHADHA 10, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2026

का.आ. 3559(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH 748A के 273.400 किमी से 331.330 किमी बेलगाम-हुंगुंड-रायचूर (EC-10) तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH 748A के 273.400 किमी से 331.330 किमी बेलगाम-हुंगुंड-रायचूर का खंड(EC-10) तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	सहायक आयुक्त, रायचूर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH 748A के कि.मी 273.4 से कि.मी 331.33 तक	कर्नाटक	रायचूर	रायचूर	1 सिद्धारम्पुरा 2 उदांगुल्लू 3 गोवसानगर

[फा. सं. NHAI/PIU-RCR/LA-02/2026-27]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2026

S.O. 3559(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 273.400 to Km. 331.330 of the NH 748A section of Belgaum-Hungund-Raichur (EC-10) for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of KARNATAKA

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH 748A section of Belgaum-Hungund-Raichur (EC-10) (Km. 273.400 to Km. 331.330) in the State of KARNATAKA.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Assistant Commissioner, Raichur	NH 748A KM 273.4 TO KM 331.33	KARNATAKA	RAICHUR	Raichur	1 Siddarampura 2 Udangullu 3 Gowsanagara

[F. No. NHAI/PIU-RCR/LA-02/2026-27]

SHAIKH AMINKHAN, Director